



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11032020-218600
CG-DL-E-11032020-218600

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 929]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 11, 2020/फाल्गुन 21, 1941

No. 929]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 11, 2020/PHALGUNA 21, 1941

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2020

का.आ. 1034(अ).—केंद्रीय सरकार, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 54 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक बैंककारी कंपनी, जिसके संबंध में केंद्रीय सरकार ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 45 के अधीन अधिसूचना जारी की है, को लोकहित में राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के लिए प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 5 और धारा 6 के लागू होने से छूट प्रदान करती है।

[फा. सं. कॉम्प-05/6/2020-कॉम्प-एमसीए]

के. वी. आर मूर्ति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th March, 2020

S.O. 1034(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 54 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Central Government hereby exempts a Banking Company in respect of which the Central Government has issued a notification under Section 45 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 49), from the application of the provisions of Sections 5 and 6 of the Competition Act, 2002, in public interest for a period of five years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. Comp-05/6/2020-Comp-MCA]

K. V. R. MURTY, Jt. Secy.